वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (VAMBAY)
दिशा – निर्देश

1. उद्देश्य :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है शहरी गन्दी बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे या उसके आस–पास जीवन यापन करने वाले आवासहीन लोगों के आवास की व्यवस्था तथा रहने के अयोग्य आवासों में उपयुक्त व्यवस्था करना है। शहरी गरीबों को स्वास्थ्य वर्धक और अच्छा नगरीय वातावरण भी उपलब्ध कराना है ताकि वे गरीबी की रेखा से उपर उठ सके।

2. लक्ष्य समूह :

वाम्बे योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में, गन्दी बस्तियों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के आस–पास जीवन यापन करते है, लक्ष्य समूह है । जिनके पास उपयुक्त आवास की व्यवस्था नहीं है, उनके लिये यह योजना तैयार की गई है। इनमें भी प्राथमिकता उन्हें दी जायेगी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

गन्दी बस्तियां (SLUMS)

वाम्बे योजना के अंतर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर गन्दी बस्तियों की परिभाषा निम्नानुसार है:–

अ. राज्य/स्थानीय सरकार द्वारा किसी अधिनियम के अधीन गन्दी बस्ती के रूप में घोषित किया गया सम्पूर्ण क्षेत्र ।

ब. राज्य/स्थानीय सरकार द्वारा गन्दी बस्ती के रूप में पहचान किया गया सम्पूर्ण क्षेत्र, जिसका किसी अधिनियम के अधीन गन्दी बस्ती के रूप में औपचारिक रूप से घोषणा न की गई हो।

स. 60–70 गरीब परिवारों अथवा कम से कम 300 व्यक्तियों वाले ऐसे सघन क्षेत्र जहां अस्वास्थ्यवर्धक वातावरण तथा अपर्याप्त अधोसंचरना विद्यमान हो और समुचित स्वच्छता और पेयजल सुविधा का अभाव हो ।

3. आरक्षण :

वाम्बे योजना के अंतर्गत समस्त बातों के समान होते हुए भी निम्नानुसार आवासों का आबंटन किया जायेगा।

1.	अनुसूचित जाति /जनजाति	न्यूनतम 50 प्रतिशत
2.	पिछड़ा वर्ग	30 प्रतिशत
3.	अन्य कमजोर वर्ग के लोग (अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग इत्यादि किसी राज्य में परिभाषित किया गया हो) ।	15 प्रतिशत
4.	शारीरिक एवं मानसिक रूप अयोग्य तथा विकलांग	03 प्रतिशत

आरक्षण के अंतर्गत महिला मकान मालिक, शहरी गरीब जो स्वसहायता समूह के सदस्य है और जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे है, को प्राथमिकता दी जायेगी ।

4. हितग्राहियों की पहचान:

जिला शहरी विकास अभिकरण संबंधित नगरीय निकायों के आपसी समन्वय से हितग्राहियों की पहचान करेगी । हितग्राहियों के पहचान के उपरान्त सूची तैयार कर उसका अनुमोदन हेतु संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जिला स्तरीय समन्वय समिति को प्रेषित की जावेगी, जो कि चयनित हितग्राहियों का अनुमोदन करेगी । हितग्राहियों की पहचान और योजना की तैयारी नगरीय निकायों, पड़ोसी समूह, पड़ोसी समितियों और सामुदायिक विकास समितियों (जो संबंधित शहरों में विद्यमान है) के सलाह से की जावेगी। गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहियों की पहचान का आधार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन सर्वेक्षित सूची को माना जावेगा। हितग्राहियों के चयन में उपरोक्त आरक्षण रोस्टर का अनुसरण किया जावेगा । अगर किसी वर्ग से उतनी संख्या के हितग्राही उपलब्ध नही होंगे तब उसकी पूर्ति अन्य वर्गों से की जावेगी। इस प्रकार आरक्षण रोस्टर के परीक्षण हेतु जिला समन्वय समिति अधिकृत रहेगी।

5. आवासो का आबंटन:

आवासीय आवासो का आबंटन महिला सदस्य के नाम पर किया जायेगा। वैकल्पिक रूप से पति और पत्नि के संयुक्त नाम से भी आबंटित किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा यथा स्थान, अंशतः यथा स्थान अथवा अन्य स्थान उपलब्ध कराया जायेगा । भूमि का स्वामित्व चयनित हितग्राही (प्रमुखतः महिला) के नाम पर रहेगा, जो ऋण की वापसी के सशर्त सहित होगा । बाम्बे निधि से निर्मित मकान, ऋण की वापसी तक राज्य सरकार/कियान्वयन एजेंसी के पास भूमि सहित बंधक रहेगा। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

6. निर्माण हेतु स्थानीय सामग्री का उपयोग :

प्रयास यह किया जाए कि विभिन्न संस्थाओं विशेषतः निर्मिती केन्द्रों द्वारा निर्धारित अनुसार लागत प्रभावशील प्रौद्योगिकी (Cost effective Technology) के आधार पर विकसित स्थानीय सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जाए । प्रयास यह भी किया जाए कि कुल लागत के 60 प्रतिशत से अधिक राशि सामग्री में व्यय न की जाए।

7. ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिषेध :

वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण ठेकेदारी प्रथा से नहीं कराया जावेगा । निर्माण का कार्य नगरीय निकायों द्वारा विभागीय रूप से कराया जावेगा, निर्माण कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री का क्रय व उसकी व्यवस्था नगरीय निकाय में प्रभावशील क्रय नियमों के अधीन की जायेगी ।

आवास किसी भी शासकीय विभाग द्वारा निर्मित नहीं कराये जावेंगे यद्यपि शासकीय विभाग या संस्थायें तकनीकी सहायता दे सकेगी तथा हितग्राही द्वारा चाहे जाने पर उन्हें कच्चे माल यथा सीमेंट, स्टीम तथा ईटों के प्रदाय मे समन्वय का प्रबंध कर सकेगी।

श्रम कार्य में योजना की लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने का प्रयास किया जाए। योजना से संबंधित आवासों के निर्माण में स्थानीय सामुदायिक विकास समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

योजना का मूल तत्व यह है कि किसी बाह्य एजेंसी से निर्माण कराने के बजाए हितग्राही द्वारा स्वयं ही आवासों का निर्माण किया जाए। आवासों के निर्माण में हितग्राही को स्वयं संलग्न होना चाहिये अर्थात् वे स्वयं निर्माण सामग्री की व्यवस्था कुशल श्रम का प्रबंध तथा परिवार श्रम का भी योगदान करेंगे।

हितग्राही को आवास निर्माण के तरीके एवं स्वरूप तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। इससे लागत में कमी, निर्माण गुणवत्ता की सुनिश्चितता, अधिकतम संतोष तथा हितग्राही की स्वीकार्यता परिलक्षित होगी। निर्माण की देखरेख के लिये हितग्राहियों की एक समिति भी बनायी जा सकती है जो कार्यो का समन्वय करेगी।

यदि इस प्रकिया से निर्माण आवास में कोई समस्या आएगी तब उसका शमन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा किया जावेगा। जिसकी पुष्टि राज्य शासन से आवश्यक होगी।

8. निर्माण की उच्च सीमा:

वाम्बे योजना अंतर्गत बनायी जाने वाले भवन के निर्माण की उच्चतम सीमा सामान्य परिस्थितियों में रूपये 40000/– होगी। उपरोक्त राशि में सेनिटेशन शौचालय, जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर से कम न हो, भी सम्मिलित है।
वाम्बे योजना अंतर्गत अनुदान की सीमा निम्नानुसार है :–

क्र	मद	सामान्य क्षेत्रफल के लिये राशि रूपये	असामान्य क्षेत्रफल यथा जल आधिक्य निम्न स्तर (गड्ढे) आदि के लिये राशि रूपये
1.	भवन निर्माण शौचालय सहित	35,000/–	37,500/–
2.	अधोसंरचना एवं सामान्य सुविधाओं का निर्माण	5,000/–	7,500/–
	कुल योग	40,000/–	45,000/–

9. उन्नयन में अनुदान की उच्चतम सीमा:

वाम्बे योजना की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग वर्तमान में मलिन बस्ती में स्थित भवनों के उन्नयन के लिये भी किया जा सकता है। उन्नयन की उच्चतम सीमा वर्तमान में मलिन बस्ती में स्थित यूनिट का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । नये भवनों के निर्माण के लिये उच्चतम सीमा उपर पैरा में दर्शाये अनुसार रहेगी ।

10. आवेदन हेतु नगर निवेश के मानदण्ड :

नये भवनों का निर्माण एवं पूर्व निर्मित भवनों के उन्नयन का ले–आउट, प्लान का अनुमोदन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के जिला प्रभारी से लेना आवश्यक होगा।

11. हितग्राही की भागीदारी:

भवन निर्माण में यथा संभव हितग्राही की भागीदारी होना चाहिये। हितग्राही स्वयं भवन निर्माण सामग्री एवं प्रशिक्षित मजदूर अथवा पारिवारिक मजदूर की व्यवस्था कर सकता है। हितग्राही को भवन निमार्ण में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। इससे हितग्राही को भवन निर्माण में राशि की बचत, गुणवत्ता में भरोसा होगा ।

निर्माण की ग्राह्यता एवं संतोष का कारण भी होगा। इस तरह से भवन निर्माण में हितग्राही की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी । यदि आवश्यक हो तो निर्माण कार्य में सहयोग हेतु हितग्राहियों की संस्था भी बनायी जा सकती है।

12. स्थानीय उपलब्ध सामग्री का उपयोग एवं उपयुक्त निर्माण प्राद्यौगिकी :

वर्तमान में भारत में भवनों के निर्माण हेतु लागत, पर्यावरण, श्रम एवं विध्वंस की रोकथाम की क्षमता से बचाव हेतु वृहत जानकारी उपलब्ध है । यह जानकारी हडको एवं बी.एम.टी.पी.सी. (बिल्डिंग मटेरियल्स एवं टेक्नीकल प्रमोशन कौन्सिल) के पास उपलब्ध है। इस प्राद्यौगिकी का उपयोग वाम्बे योजना के लिए सतत रूप से किया जाना है। प्रस्तावित योजना में प्राद्यौगिकी के उपयोग के प्रमाणीकरण एवं उल्लेख के पश्चात ही हडको द्वारा ऋण या अनुदान की राशि निर्गमित की जानी चाहिये। बड़ी योजनाओं हेतु हडको या बी. एम.टी.पी.सी. द्वारा बिल्डिंग सेंटर का निर्माण भी किया जा सकता है। यथा संभव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिये।

13. अन्य शहरी गरीबी उपशमन योजना के साथ समन्वय :

वाम्बे योजना को अन्य शहरी गरीबी उपशमन योजनायें यथा SJSRY एवं NSDP के साथ समन्वित किया जा जायेगा । NSDP के अंतर्गत राज्य के पास उपलब्ध राशि का उपयोग पर्यावरण उन्नयन हेतु एवं SJSRY के अंतर्गत उपलब्ध राशि का उपयोग स्वरोजगार योजना खासकर स्व–सहायता योजना (DWACUA) की सदस्य महिलाओं की आय में वृद्धि के लिये किया जा सकता है।

14. शहरी अधोसंरचना :

यद्यपि वाम्बे योजना में प्रति यूनिट की अधोसंरचना हेतु राशि निर्धारित है। राज्य शासन को जल प्रदाय, पानी निकासी, विद्युतीकरण आदि सामुदायिक अधोसंरचना के लिए अन्य मदों से राशि उपलब्ध कराने के प्रयास तथा सामाजिक अधोसंरचना यथा शाला भवन, अस्पताल, यातायात/सामान ढुलाई व्यवस्था की उपलब्धता वाम्बे योजना की स्वीकृति के लिए करना चाहिये। वाम्बे योजना की स्वीकृति अनुमोदित ले – आउट (जिसमें जल प्रदाय, जलमल निकासी, सड़के हों) के अनुसार हो इस हेतु हडको को ध्यान रखना चाहिये। सामुदायिक एवं सामाजिक अधोसंरचना, जिसमें हरित क्षेत्र, खुला क्षेत्र एवं मनोरंजन क्षेत्र हो, वाम्बे योजना का अनिवार्य घटक है।

15. जल प्रदाय योजना :

पेयजल की उपलब्धता हेतु वाम्बे योजना की कियान्वयन संस्था जिम्मेदार होगी। आवश्यक हो तो, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्थल पर हेण्डपम्प स्थापित किया जावें, जिसके लिये राशि नगरीय जल प्रदाय योजना अथवा नगरीय संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जावे। योजना की 25 प्रतिशत राशि पेय जल उपलब्ध कराने एवं पानी निकासी के लिए खर्च की जावेगी, जिसमें सामुदायिक सवच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान की 20 प्रतिशत राशि सम्मिलित है।

16. स्वच्छता एवं सुलभ शौचालय :

शौचालय वाम्बे योजना का अनिवार्य हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा शौचालय निर्माण को स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से उल्लेखनीय महत्व दिया गया है। किचन, बाथरूम से ओव्हर फ्लो के निराकरण के लिये नाली का जाल (नेटवर्क) होना चाहिये, जो कि नगर की नाली योजना से जुड़ी हो । यथा संभव प्रत्येक आवास में शौचालय की व्यवस्था की जावेगी जहां यह संभव न हो वहां सार्वजनिक शौचालय निर्माण करने की कार्यवाही की जावेगी ।

17. पर्यावरणीय सुधार एवं खुला/हरा–भरा क्षेत्र :

आवासीय क्षेत्र एवं चारों ओर तथा प्रत्येक घर में वृक्षारोपण एक साथ किया जाना चाहिये। भविष्य में आवासीय परिक्षेत्र के पास हरियाली उपलब्ध हो अतएव वृक्षारापेण भवन समूहों के पास ही किया जाना चाहिये। शहरी वनीकरण (Urban Forestry) के अधीन यह कार्य संबंधित नगरीय निकायों द्वारा सामुदायिक समितियों के सहयोग से किया जावेगा।

18. गैर–शासकीय संस्थाओं (NGO)की भागीदारी :

वाम्बे आवास योजना के विकास में अच्छे रिकार्ड वाले गैर शासकीय संस्थाओं की भागीदारी ली जा सकती है। इन संस्थाओं से पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं मानिटरिंग का कार्य लिया जा सकता है। विशेष कर, उपयुक्त प्राद्यौगिकी के उपयोग एवं सामुदायिक शौचालय के उपयोग को लोक प्रिय बनाने हेतु इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। NGO का चयन राज्य शासन द्वारा उक्त निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा तथा उसका अनुमोदन जिला समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा ।

19. भवनों की जानकारी :

वाम्बे योजना की कियान्वयन संस्था के पास उन्नयन एवं नव निर्माण के भवनों की पूर्ण जानकारी होना चाहिये। जिसमें भवनों के निर्माण प्रारंभ करने की तिथि, निर्माण पूर्ण करने की तिथि, शहर का नाम, भवन की स्थिति वार्ड अनुसार एवं हितग्राही का व्यवसाय एवं श्रेणी तथा अन्य संबंधित जानकारी लें।

20. वाम्बे बोर्ड एवं लोगो (LOGO) का प्रदर्शन :

वाम्बे योजना की समाप्ति पर संबंधित नगरीय निकाय एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगी जिसमें भारत सरकार/हुडको का लोगो, निर्माण का वर्ष, हितग्राही का नाम आदि होगा ।

21. मानिटरिंग :

राज्य सरकार के अधिकारी, जो वाम्बे योजना के प्रभार में होंगे, नियमित रूप से स्थल भ्रमण करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि कार्य का सम्पादन संतोषप्रद रूप से निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हो रहा है। जिला स्तर पर प्रगति की मासिक समीक्षा जिला समन्वय समिति के बैठक में की जावेगी। इसी प्रकार जिला स्तरीय एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी सघनता पूर्वक कार्यस्थल का दौरा कर वाम्बे योजना के प्रत्येक बिन्दुओं पर निगरानी रखेंगे। स्थल निरीक्षण के लिए निकाय स्तर से राज्य स्तर तक के लिए प्रत्येक पर्यवेक्षक स्तर पर सूची बनायी जावे एवं उसका पालन सुनिश्चित किया जावे।

22. मूल्यांकन :

राज्य सरकार द्वारा वाम्बे योजना का समयबद्ध मूल्यांकन किया जावेगा। मूल्यांकन किसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा उन बिन्दुओं पर किया जावे जिस पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से मूल्यांकन एवं पुर्ननिरीक्षण किया गया है। परीक्षण की प्रति भारत शासन को भी उपलब्ध करायी जावेगी। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त जानकारी के आधार पर सुरक्षात्मक कदम उठाये जा सकेंगे।

23. वाम्बे योजना में पारदर्शिता :

यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि केन्द्र प्रवर्तित योजना का योजनाबद्ध कियान्वयन हो तथा राशि का दुरूपयोग एवं अन्य अनियमितताएं रोकी जावें। अतः यह आवश्यक है कि वाम्बे के कियान्वयन में पारदर्शिता हो तथा जनता की पहुंच इस योजना की जानकारियों तक हो।

जनता को जानकारी उपलब्ध कराने राज्य स्तर, जिला स्तर एवं निकाय स्तर की सूची निम्नानुसार है :–

राज्य स्तरीय :

(i) शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों की सूची ।

(ii) पूर्व वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में नामांकित हितग्राही की सूची, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला हितग्राही तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की सूची ।

(iii) वाम्बे योजनांतर्गत राज्य सरकार का आवंटित राशि ।
(iv) वाम्बे योजना के लिये दिशा–निर्देश तथा हितग्राही के चयन का मापदण्ड ।
(v) वाम्बे भवनों में साइन बोर्ड एवं लोगों का प्रदर्शन ।

जिला /नगर स्तरीय :

(i) जिला स्तर पर योजना में लिये गये भवनों का विवरण जिसमें लागत विवरण, फण्ड का स्त्रोत तथा कियान्वयन एजेंसी का विवरण ।
(ii) मस्टर रोल की उपलब्धता।
(iii) योजनांतर्गत मलिन बस्ती अनुसार फण्ड का विवरण ।
(iv) वाम्बे योजनांतर्गत फण्ड का आवंटन एवं राशि की उपलब्धता।

जिला /नगर स्तरीय :

(i) वाम्बे योजना फण्ड का मलिन बस्ती अनुसार वितरण
(ii) मलिन बस्ती के चयन का मापदण्ड
(iii) हितग्राही की सूची

24. लेखा का संधारण :

1. राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण उनके जिले की संबंधित निकायों के लिये तथा निकाय स्तर पर प्रत्येक संबंधित नगरीय निकाय लेखा का संधारण करेंगे और निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जावेगा जिसके आधार पर आगामी किश्तों का निर्गमन किया जा सकेगा । जिला शहरी विकास अभिकरण का यह दायित्व होगा कि संबंधित नगरीय निकाय में अव्यय राशि न्यूनतम हो और उसका दुरूपयोग न किया जाए ।
2. वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना के लिये शासन द्वारा विमुक्त की जाने वाली राशि, नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जायेगी। जिसका परिचालन आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जैसी स्थिति हो) तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा।

25. जमा निधियों पर अर्जित व्याज का उपयोग :

जमा निधियों पर अर्जित ब्याज वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना के श्रोत का एक भाग माना जावेगा ।

(विवेक ढाँड)
सचिव
आवास पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर